

विविध बैंक प्रकरण सं0 33/2019 (RCMS 2019/00053) भारतीय स्टेट बैंक जरिये श्री राजेश कुमार, मुख्य प्रबन्धक/ प्राधिकृत अधिकारी, शाखा रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) बनाम मैसर्स पूजा फ्यूल इंडस्ट्रीज जरिये श्री मनफूल गिरी पुत्र श्री रावत गिरी प्लॉट नं० जल-1-38, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर / गांव श्यामसिंहवाला (16 बी.एन.डब्ल्यू.), तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)



20.05.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के वकील ने फहरिस्त सूची में अकिंत दस्तावेज पेश किया जो शामिल किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. पुजा फ्यूल इंडस्ट्रीज-प्रो. मनफूल गिरी को ऋण सुविधा के रूप में 12.00 लाख रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 09.12.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मै. पूजा फ्यूल इंडस्ट्रीज-प्रो. मनफूल गिरी का इंडस्ट्रियल प्लॉट जी-1-38 रिको इंडस्ट्रियल एरिया, रायसिंहनगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 28.07.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 20.10.2018 को 12,77,196/-रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 20.10.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों मै. पूजा फयूल इंडस्ट्रीज-प्रो. मनफूल गिरी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्री मनफूल गिरी की उक्त अचल सम्पति इंडस्ट्रियल प्लॉट जी-1-38 रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, रायसिंहनगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. पूजा फयूल इंडस्ट्रीज-प्रो. मनफूल गिरी को 12.00/-लाख रुपये (अखरे रुपये बारह लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 09.12.2011 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मै. पूजा फयूल इंडस्ट्रीज-प्रो. मनफूल गिरी द्वारा अपनी अचल सम्पति इंडस्ट्रियल प्लॉट जी-1-38 रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, रायसिंहनगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 28.07.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.10.2018 भिजवाये गये। मै.पूजा फयूल इंडस्ट्रीज-प्रो. मनफूल गिरी को धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस वितरण के फलस्वरूप Post Office के Track Consignment की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार मै. पूजा फयूल इंडस्ट्रीज-प्रो. मनफूल गिरी को उक्त धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 29.10.2018 को तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।


जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति इंडस्ट्रियल प्लॉट जी-1-38 रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, रायसिंहनगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) जो ऋणी प्रो. मनफूल गिरी के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.10.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 20.10.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मै. पूजा फयूल इंडस्ट्रीज-प्रो. मनफूल गिरी के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप Post Office के Track Consignment की प्रति पेश की है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रो. मनफूल गिरी द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री बंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक-शाखा रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति इंडस्ट्रियल प्लॉट जी-1-38 रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, रायसिंहनगर (क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर) जो कि ऋणी प्रो. श्री मनफूल गिरी के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद एम. नकाले)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर